प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में गोमतीनगर सेक्टर-7 में संस्थान के नवीन परिसर के समीपस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (एन0आर0एच0एम0) के अंतर्गत निर्माणाधीन 200 बेडेड महिला एवं बाल चिकित्सालय में फर्नीचर/फर्निशिंग आपूर्ति/कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3753/डा0रा0म0लो0आ0सं0/सि0/2017, दिनांक 04-1-2017 का कृपया सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में नवीन परिसर के समीपस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (एन0आर0एच0एम0) के अंतर्गत निर्माणाधीन 200 बेडेड महिला एवं बाल चिकित्सालय में फर्नीचर/फर्निशिंग आपूर्ति/कार्य कराये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आंकलित एवं अनुमोदित लागत रू0 417.2888 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 02,08,64,440/- (रूपया दो करोड आठ लाख चौसठ हजार चार सौ चालिस मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानित अनापत्तियां सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण/स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3) प्रायोजना में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संस्थान/कार्यदायी संस्था का होगा।
4) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
5) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-3-2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण/स्थापना के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स के आधार पर किया जाय। आपूर्ति एवं स्थापना के समय गुणवत्ता की जांच नियमानुसार की जायेगी।
7) संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। संस्थान द्वारा धनराशि का आहरण एवं व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

3- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा आहरित करते हुए नियमानुसार उक्त धनराशि सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण कोउपलब्ध करायी जायेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04-डा0 राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ -24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त (बैठक का कार्यवृत्त)

भवदीया,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-42/2017/36/(1)/71-2-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त अधिकारी, डा0रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
6) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
8) गार्ड फाइल।
9) निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।